प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) सं. 2278/ 2022

निर्णय सुरक्षित रखा गया : 25.03.2025

निर्णय पारित किया गया 08.05.2025

1 - कुमारी पूनम, पिता- श्री धरम सिंह, आयु- लगभग 19 वर्ष, गजरा बस्ती, डाकघर- बांकीमोंगरा, तहसील- कटघोरा, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़

..... याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, स्कूली शिक्षा मंत्रालय विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

2 - छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, द्वारा- सचिव, पेंशनबाड़ा, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, पेंशनबाड़ा, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़

4 - जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़

5 – प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घुरदेवा, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़

6 - लिपिक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घुरदेवा, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़

..... उत्तरवादी

(वाद- शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया)

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री मयंक कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री खुलेश साहू, अधिष्ठित अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 2 व 3 की ओर से : श्री अनिमेष तिवारी, अधिवक्ता

<u>एकल पीठ- माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद</u>

<u>सीएवी निर्णय</u>

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका याचिकाकर्ता के 10 वीं कक्षा के प्रदर्शन के लिए ग्रेड-शीट सह प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि में सुधार के लिए प्रस्तुत किया है, जिसे गलत तरीके से 01.02.2001 के रूप में अभिलिखित किया गया है, जबकि सही जन्म तिथि 01.02.2002 है। याचिकाकर्ता उसी के सुधार हेतु एक आवेदन प्रस्तुत कर चुकी है, यद्यपि, उसे सही नहीं किया गया है तथा उत्तरवादी सं. 3 द्वारा जारी किए गए 27.07.2021 दिनांकित आक्षेपित आदेश के माध्यम से, जन्म तिथि के सुधार के लिए आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि आवेदन पर उचित विचार करने के बाद, इसे खारिज कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए यह याचिका प्रस्तुत की हैः-

> "10.1. कि यह माननीय न्यायालय परिशीलन हेतु प्रत्यर्थियों के कब्जे से प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख/दस्तावेज मंगाने की कृपा करे।
>
> 10.2. कि यह माननीय न्यायालय 27.07.2021 दिनांकित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक **P**/1) को अपास्त करने हेतु उपयुक्त आदेश/रिट/निर्देश जारी करने की कृपा करे तथा उत्तरवादी सं. 2 व

3 को याचिकाकर्ता के प्रकरण पर विचार कर 10 वीं कक्षा (सत्र 2016-17) के प्रदर्शन की सही अंकसूची सह प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश देने की कृपा करे।

10.3. कि यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसे अन्य अनुतोष प्रदान करने की कृपा करे, जो वह न्याय के हित में उचित समझे।

10.4. याचिका का वाद-व्यय भी याचिकाकर्ता को प्रदान किए जाने की कृपा हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्ता की वास्तविक जन्म तिथि 01.02.2002 है, जिसका उल्लेख 30.06.2012 दिनांकित स्कूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में किया गया है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को वर्ष 2007 में आदिम जाति कल्याण विभाग प्राथमिक शाला, गजरा, जिला कोरबा में प्रवेश कराया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कक्षा 5 तक पढ़ाई की है। उक्त विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता ने वर्ष 2012 में प्रोन्नत माध्यमिक शाला, बाँकिमोंगरा, कटघोरा में प्रवेश लिया, जहाँ उसने 8 वीं कक्षा तक पढ़ाई की और उक्त विद्यालय द्वारा व एक अन्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया था जिसमें उसकी जन्म तिथि 01.02.2002 के रूप में उल्लिखित की गई है। याचिकाकर्ता ने कक्षा 8 वीं की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया और वर्ष 2015 में शासकीय (टी. डब्ल्यू. डी.) उच्च माध्यमिक विद्यालय, घुरदेवा, जिला कोरबा में कक्षा 9 वीं में प्रवेश लिया। उक्त विद्यालय में लिपिकीय त्रुटि के कारण, याचिकाकर्ता की जन्म तिथि का गलत तरीके से 01.02.2001 के रूप में उल्लेख किया गया है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा नहीं देखा जा सका था और इस तरह, जन्म तिथि का गलत तरीके से अंक-सूची (अंक-सूची) में उल्लेख किया गया है। जब याचिकाकर्ता को अंक-सूची (अंक-सूची) और वर्ग-सूची (ग्रेडशीट) आदि

प्राप्त हुई, तो यह तथ्य वर्ष 2020 में परिणाम के प्रकाशन के बाद पहली बार उसके संज्ञान में आया। इसके बाद याचिकाकर्ता के पिता ने तुरंत प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष के भीतर 04.11.2020 को एक अनुरोध के साथ एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया कि इसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर सुधारा जाए जिनमें जन्म तिथि का 01.02.2002 के रूप में सही उल्लेख किया गया है।

4. उत्तरवादी सं. 2 ने प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना और इस प्रकरण में सुसंगत दस्तावेजों पर विचार किए बिना, बिना कोई कारण बताए अवैध रूप से आवेदन को खारिज कर दिया है। अतः आक्षेपित आदेश एक स्पष्ट आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) नहीं है क्योंकि यह नहीं दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के आवेदन को किस आधार पर खारिज किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपने पिता के माध्यम से उचित रूप से तीन वर्ष की सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया है अतः उत्तरवादियों को याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को सुधारने का आदेश पारित करना है। प्रमाण-पत्रों में उल्लिखित जन्म तिथि के परिशीलन से प्रतीत होता है कि टंकण संबंधी गलती के कारण वर्ष का गलत उल्लेख '2001' किया गया है जबकि यह '2002' होना चाहिए। चूँकि आक्षेपित आदेश अपने आप में अवैध है, इसलिए याचिकाकर्ता इस न्यायालय से अनुरोध करती है कि वह याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को सही करने के लिए संबंधित प्राधिकारी अर्थात् उत्तरवादी सं. 2 को निर्देश दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आदेश के परिशीलन से ही प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने इस मामले के महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया है कि कक्षा 5 वीं और कक्षा 8 वीं के प्रमाण-पत्र में, जन्म तिथि को सही ढंग से 01.02.2002 दर्शाया गया है, यद्यपि, बाद के प्रवेश पंजी के साथ-साथ कक्षा 10 वीं परीक्षण की अंक-सूची में भी इसका गलत उल्लेख किया गया है। वे निवेदन करते हैं कि वर्तमान प्रकरण में, 04.09.2021 दिनांकित परिपत्र के संदर्भ को गलत तरीके से लागू किया गया है क्योंकि उक्त परिपत्र संभावित हो सकता है और इसका पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं

हो सकता है। वे तर्क करते हैं कि याचिकाकर्ता का प्रकरण वर्ष 2017 से संबंधित है, इस प्रकार, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के पास एक उचित प्रकरण है और यदि उसकी जन्म तिथि को सुधारा नहीं किया जाएगा, तो उसका पूरा व्यवसायिक जीवन दांव पर होगा अतः उसे सुधारने की आवश्यकता है। वे **(2021) 7 एस. सी. सी. 535** में प्रतिवेदित **जिज्ञा यादव बनाम सी. बी. एस. ई.,** **(2010) 11 एस. सी. सी. 702** में प्रतिवेदित **मनोज कुमार बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन व अन्य**, तथा **(2013) 1 एस. सी. सी. 353** में प्रतिवेदित **तुकाराम काना जोशी बनाम एम. आई. डी. सी.** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा पारित निर्णयों का अवलंब लेते हुए निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत याचिका को भी माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में स्वीकार किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, उत्तरवादी सं. 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि को केवल तभी ठीक किया जा सकता है जब आवेदन दिनांक 04.09.2021 के परिपत्र के अनुसार तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर गया हो जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के वर्ष 2016-17 से संबंधित प्रदर्शन का कक्षा 10 वीं का प्रमाण-पत्र छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा मार्च 2017 के महीने में जारी किया गया है, यद्यपि, इसके सुधार के लिए आवेदन 04.11.2020 को जमा किया गया है, जो 3 साल की निर्धारित परिसीमा के बाद है। वे आगे तर्क करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यालालय और इस न्यायालय ने यह स्थिर रखा है कि आवेदन निर्धारित परिसीमा के बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसलिए, वर्तमान याचिका को केवल विलंब के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता तर्क करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया अनुतोष केवल उत्तरवादी सं. 2 एवं 3/छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के विरूद्ध है अतः उत्तरवादी- राज्य के विरूद्ध कोई वाद कारक नहीं बनता है। वे तर्क करते हैं कि वर्तमान याचिका विलंब और कमियों के आधार पर खारिज की जानी चाहिए क्योंकि वर्तमान

याचिका याचिकाकर्ता की कक्षा 10 वीं की अंकसूची (अंक-सूची) जारी किए जाने की दिनांक से लगभग 5 वर्ष के विलंब के बाद प्रस्तुत किया गया है। आगे वे **(2003) 12 एस. सी. सी. 408** में प्रतिवेदित **शिक्षा मण्डल, असम बनाम मो. सरिफुज़ ज़मान** के मामले में माननीय सर्वोच्च द्वारा पारित निर्ण्य तथा **डॉ. कृष्ण कुमार कावरे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, रिट याचिका (सिविल) सं. 2886/2017** के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लेते हुए तर्क करते हैं कि जन्म तिथि में सुधार केवल तभी किया जा सकता है जब उक्त तथ्य के लिए आवेदन निर्धारित समय परिसीमा अर्थात् तीन वर्ष की परिसीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाता है और इसे निर्धारित परिसीमा के बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

9. **(2010) 11 एस. सी. सी. 702** में प्रतिवेदित **मनोज कुमार बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन व अन्य** के मामले में एक समान प्रकरण में सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

> "8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई अभ्यर्थी गलत या अधूरी जानकारी देता है या अपने आवेदन में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी को रोकता है या छुपाता है, तो वह रोजगार प्राप्त करने से वंचित होगा। यह भी सच है कि भले ही ऐसा आवेदक पहले से ही नियुक्त किया गया हो, गलत जानकारी देने के लिए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
>
> 9. परन्तु यहाँ प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी ने गलत जानकारी दी थी या किसी सुसंगत या महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया था। एम.ए.जी.एस.एस. स्कूल, जिंद, हरियाणा, के अभिलेख जहां उसने

छठी कक्षा में पढ़ाई की थी, उसकी जन्म तिथि 08.09.1988 के रूप में दर्शाते हैं। अतः वह दिनांक कोई ऐसा नहीं था जो रोजगार हासिल करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके अतिरिक्ति, स्कूली शिक्षा मण्डल, हरियाणा द्वारा अपीलार्थी की बहन को जारी मैट्रिक प्रमाण-पत्र में उसकी जन्म तिथि 23.11.1989 दर्शायी गई है। अतः स्पष्ट रूप से अपीलार्थी की जन्म तिथि जो उसके मैट्रिक प्रमाण-पत्र में 08.11.1989 के रूप में दर्शायी गई थी, गलत थी। वह मैट्रिक प्रमाण-पत्र में जन्म तिथि में सुधार हेतु अनुरोध कर रहा था और अपनी जन्म तिथि में सुधार के लिए एक वाद भी दायर किया था। व्यवहार न्यायालय ने वाद में डिक्री पारित की और स्कूली शिक्षा मण्डल ने निर्णय को स्वीकार किया और जन्म तिथि को सुधारा। यदि सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाए, तो यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 08.09.1988 थी न कि 08.11.1989। अपीलार्थी जन्म तिथि को सुधरवाने हेतु हर समय प्रयास कर रहा था और वस्तुतः, उसे सुधरवाया। यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहां लंबी सेवा अवधि के लिए गलत तिथि दी गई हो और उसके बाद इसे उचित ठहराने का प्रयास किया गया हो। जन्म तिथि में स्पष्ट रूप से एक गलती थी और हरियाणा स्कूली शिक्षा मण्डल ने इसे सुधार दिया। समर्थक दस्तावेजों के साथ अपीलार्थी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर न तो उत्तरवादी 3 और 4, या अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। उन्होंने सुसंगत सामग्री को नजरअंदाज कर दिया और केवल इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय लिया क्योंकि मैट्रिक प्रमाण-पत्र जो रोजगार आवेदन के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समय दिया गया था, में जन्म तिथि रोजगार हेतु दिए गए आवेदन में दी गई तिथि से भिन्न थी। जब मैट्रिक प्रमाण-पत्र एक ठोस दस्तावेज है, अन्य समान रूप से सुसंगत सामग्री को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब मैट्रिक प्रमाण-पत्र को सुधारा गया हो। जन्म तिथि में सुधार की मांग करने वाले प्रवेशक के प्रकरण की तुलना शासकीय कर्मचारियों के प्रकरणों के साथ नहीं की जानी चाहिए जो अपनी सेवा के अंतिम चरण में गलत जन्म तिथि का उल्लेख करने का आरोप लगाकर सेवा का विस्तार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि कई सेवा नियम संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर सेवा रजिस्टर में जन्म तिथि में सुधार का प्रावधान करते हैं यदि सेवा में प्रवेश करने के पहले कुछ वर्ष के भीतर सुधार की मांग की जाए। जो भी हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अतः हमारा विचार है कि सेवा समाप्ति को यथावत् नहीं रखा जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय का आदेश, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश तथा सेवा समाप्ति के आदेश अपास्त किए जाते हैं। परिणामस्वरूप अपीलार्थी को सेवा की निरंतरता के साथ दो माह के भीतर सेवा में वापस ले लिया जाएगा और उसे अपना प्रशिक्षण पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। अपीलार्थी किसी भी प्रकार का पिछला वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।"

10. इसके अतिरिक्त, **(2013) 1 एस. सी. सी. 353.** में प्रतिवेदित **तुकाराम काना जोशी बनाम एम. आई. डी. सी.** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने अभिनिर्धारित किया है किः-

"12. राज्य, विशेष रूप से एक कल्याणकारी राज्य जो विधि के शासन द्वारा शासित है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए दर्जे से परे स्वयं को अभिमानी नहीं बना सकता है। हमारा संविधान जैविक और लचीला है। अनुतोष प्रदान करने हेतु अधिकारिता के प्रयोग को अस्वीकार करने के लिए विलम्ब को विवेकाधिकार के एक तरीके के रूप में अपनाया जाता है। एक अन्य पहलू भी है। न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेकाधिकार मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विवेकाधिकार के प्रयोग को अस्वीकार करने के पहलुओं में से एक विलंब है। यह कोई पूर्ण बाधा नहीं है। कम करने वाले कारक, वाद कारक की निरंतरता आदि हो सकते हैं। इसके अलावा, यदि पूरी बात न्यायिक विवेक को झकझोर देती है, तो न्यायालय को विवेक का अधिक प्रयोग करना चाहिए, जब किसी तीसरे पक्ष का हित सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार विश्लेषण किया गया है कि याचिका विलंब के सिद्धांत से प्रभावित नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक परिसीमा नहीं है, वाद कारक निरंतर है और स्थिति निश्चित रूप से न्यायिक विवेक को झकझोर देती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. विलंब क्षमा करने का प्रश्न विवेकपूर्ण है और इसका निर्णय प्रकरण के तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होते हैं। यह मौलिक अधिकार के उल्लंघन और दावा किया गया उपाय क्या है और कब और कैसे विलंब हुई इस पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का

प्रयोग करने की कोई परिसीमा अवधि है, और न ही ऐसा कोई मामला हो सकता है जिसमें न्यायालय एक निश्चित समय बीतने के बाद किसी प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ऐसा प्रकरण हो सकता है जिसमें न्याय की मांग इतनी बाध्यकारी हो कि उच्च न्यायालय विलंब के बावजूद हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक हो। अंततः, यह न्यायालय के विवेकाधिकार के अधीन एक मामला होगा और इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रूप से किया जाना चाहिए ताकि न्याय को बढ़ावा दिया जा सके और इसे पराजित नहीं किया जा सके। पक्ष के बचाव की वैधता का परीक्षण काफी हद तक न्यायसंगत सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस बारे में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय को कब किसी ऐसे पक्ष के पक्ष में अपने अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार करना चाहिए जो काफी विलंब से उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और अन्यथा विलंब का दोषी है। विवेक का प्रयोग न्यायसंगत और यथोचित रूप से किया जाना चाहिए। यदि आवेदक द्वारा किया गया दावा विधिक रूप से स्थिर रखे जाने योग्य, विलंब को माफ किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जहां आचरण को उचित ठहराने वाली परिस्थितियाँ मौजूद हैं, वहां जो अवैधता प्रकट होती है, उसे केवल बाधाओं के आधार पर स्थिर नहीं रखा जा सकता है। जब एक दूसरे के विरूद्ध सारभूत न्याय और तकनीकी विचार रखे जाते हैं, तो सारभूत न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि दूसरा पक्ष जानबूझकर न किए गए विलंब के

कारण किए जा रहे अन्याय में निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय को निर्दोष पक्षों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए यदि याचिकाकर्ताओं की भाग विलंब से उनके अधिकार वास्तव में सामने आए हैं।"

11. (2021) 7 एस. सी. सी. 535 में प्रतिवेदित **जिज्ञा यादव बनाम सी. बी. एस. ई.** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान मुद्दे का कण्डिका 137,146,150 और 172 के माध्यम से समाधान किया गया है जो नीचे उद्धृत किए गए हैंः-

"137. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि सी. बी. एस. ई. प्रमाण-पत्रों को सख्ती से पहचान दस्तावेज नहीं माना जाता है, यद्यपि, सभी शैक्षणिक और व्यवसायिक जीवन (करियर) से संबंधित लेनदेन में आधारभूत दस्तावेज के रूप में पुष्टि के उद्देश्यों के लिए उनका अवलंब लिया जा रहा है। वस्तुतः सी. बी. एस. ई. ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके प्रमाण-पत्रों का सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अवलंब लिया जाता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। मैट्रिक प्रमाण-पत्र में जन्म तिथि, विशेष रूप से, का किसी नागरिक की जन्म तिथि के प्राथमिक साक्षय के रूप में अवलंब लिया जाता है। अतः जहां तक सी. बी. एस. ई. प्रमाण-पत्र में निहित जानकारी का संबंध है, बोर्ड द्वारा छात्रों को उन आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किए जाने के अधीन इसे संशोधित करने का अवसर दिया जाना चाहिए जो प्रकृति में उचित हैं। यदि अन्य सभी राज्य अभिकरण नागरिकों द्वारा अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में सक्षम होने के साथ-साथ निरंतरता और सटीकता के संरक्षण के लिए इसकी अनुमति दे सकती हैं, तो सी.बी.एस.ई. के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए छात्रों के इस अधिकार को बनाए नहीं रखने का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह सी. बी. एस. ई. की अपनी विश्वसनीयता के हित में होगा कि उसके अभिलेखों कों आधिकारिक उद्देश्यों के लिए छात्र के सटीक और नवीनतम अभिलेखों के रूप में अवलंब लिए जाने योग्य माना जाए। अतः यह दृष्टिकोण दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा- अधिकारों का स्वतंत्र प्रयोग और सटीकता का संरक्षण।

146. इसी तरह का प्रावधान या तो स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर या न्यायालय के आदेश के आधार पर जन्म तिथि में "सुधार" के लिए उपलब्ध है। "सुधार" शब्द का उपयोग जन्म तिथि के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि नाम के विपरीत, केवल एक ही जन्म तिथि हो सकती है और इसे स्कूल अभिलेख या न्यायालय के आदेश के अनुरूप बनाने के लिए केवल एक सुधार किया जा सकता है। इसे अपनी पसंद की नई तिथि से पहले वाले को बदलने के लिए नहीं बदला जा सकता है। यह ध्यान दिया जाए कि जन्म तिथि और नाम में सुधार से संबंधित प्रावधान न्यायसंगत और उचित हैं और सुधारों की अनुमति पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। परिसीमा अवधि के संबंध में प्रतिबंध का अन्य प्रावधानों के साथ बाद में परीक्षण किया जाएगा।

150. निर्विवाद रूप से, अभ्यर्थी आगे की शिक्षा प्राप्त करेगा और सी.बी.एस.ई. बोर्ड सहित स्कूली रिकॉर्ड (विद्यालयीन अभिलेखों) के आधार पर भविष्य में करियर के अवसरों का पता लगाएगा। सी.बी. एस. ई. अभ्यर्थी के संबंध में अपने आधिकारिक रिकॉर्ड को मौलिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दस्तावेजों को स्कूल रिकॉर्ड होने के आधार पर रखता है। अतः सी. बी. एस. ई. सभी आवश्यक सुधार करने हेतु बाध्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सी. बी. एस. ई. का प्रमाण-पत्र स्कूल रिकॉर्ड में प्रस्तुत सुसंगत जानकारी के अनुरूप हो, जैसा सुसंगत समय तथा सी. बी. एस. ई. द्वारा परिणाम प्रकाशित किए जाने के बाद के समय के साथ भी भविष्य में मौजूद थे। यद्यपि, जब सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र में किसी भी जानकारी को दर्ज करने की बात आती है जो स्कूल के रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं है, तो यह आवश्यक है कि सी.बी.एस.ई. को का समर्थक सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जोर देना चाहिए जिसका उपधारणात्मक मूल्य हो और इस प्रकरण में इस तरह के सुधार को सम्मिलित करने के लिए न्यायालय द्वारा घोषणा की जानी चाहिए। उस संबंध में, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के तारतम्य में उसके द्वारा किए गए बदलाव के कारण किसी तीसरे पक्ष/निकाय के किसी दावे से अपने हितों की सुरक्षा करने तथा स्वयं को आश्वस्त करने हेतु सी. बी. एस. ई. अतिरिक्त शर्तों पर जोर दे सकती है। अंतिम कण्डिका में, हम इस निर्णय में हुए विमर्श के आलोक में सी. बी. एस. ई. बोर्ड को निर्देश जारी करना चाहते हैं। उन निर्देशों की एकरूप प्रकृति हेतु, जिन्हें हम विचाराधीन प्रकरणों के साथ- साथ भविष्य में सी. बी. एस. ई. बोर्ड के समक्ष आने वाले प्रकरणों से किसी असंगत दृष्टिकोण को दूर करने हेतु जारी करना चाहते हैं, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम समय- समय पर सुसंगत उप-विधियों में किए जाने वाले संशोधनों की मान्यता के प्रश्न पर विस्तार में चर्चा करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

172. उपरोक्त के आलोक में, हम अपने पूर्ण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, सी. बी. एस. ई. को विचाराधीन संबंधित प्रकरण में उसके द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में सुधार या बदलाव के लिए आवेदनों को संसाधित करने का निर्देश देते हैं। इस तरह के अनुरोध के लिए अन्य लंबित आवेदनों और भविष्य के आवेदनों को भी उसी तर्ज पर संसाधित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अनुच्छेद 170 और 171 में अब तक अभिलिखित किए गए निष्कर्ष और निर्देश, जो सुसंगत उपनियमों के संसोधन तक लागू हो सकते हैं, जब तक कि सुसंगत विधियों में कोई संसोधन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, सी. बी. एस. ई. अपने सुसंगत उपविधियों में संशोधन करने हेतु तत्काल कदम उठाएगा ताकि उसके द्वारा पहले से जारी किए जा चुके या जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों में सुधार या बदलाव दर्ज करने हेतु उल्लिखित तंत्र को सम्मिलित किया जा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसके अलावा, **2022 एस.सी.सी. ऑनलाईन देल 4095** में प्रतिवेदित **प्रेमा एवलिन डिक्रूज बनाम भारत संघ व अन्य** के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"**36.** अभ्यर्थी की अंक-सूची में दिखाई देने वाली जन्म तिथि का साक्ष्य के रूप में मूल्य विवादित नहीं है। वस्तुतः जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रभावी होने के पूर्व भी, किसी अभ्यर्थी की जन्म तिथि को समझने के उद्देश्य से अवलंब लिया जाने वाला प्राथमिक दस्तावेज स्कूल रिकॉर्ड है। यह या तो स्कूल द्वारा संधारित विद्यालय प्रवेश पंजी का उद्धरण है या विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र है जिसका उम्र के प्रमाण के रूप

में अवलंब लिया जाता है। परन्तु वर्तमान प्रकरण में, इस न्यायालय को अभ्यर्थी की वास्तविक जन्म तिथि की शुद्धता से सारोकार नहीं है। ऐसे कई उदाहरण उपलब्ध हैं जहां अभ्यर्थी को विद्यालय में प्रवेश कराते समय, माता-पिता या अभिभावक ने, जैसा भी प्रकरण हो, जन्म की एक विशेष तिथि दी थी, जबकि वैधानिक प्राधिकरण द्वारा संधारित पंजी में, जन्म तिथि अलग है। यह अलग-अलग परिस्थितियों में हो सकता है। एक जानबूझकर किया गया कृत्य हो सकता है जब वास्तविक जन्म तिथि की पूरी जानकारी रखने वाले माता-पिता या अभिभावक सुसंगत समय पर कुछ लाभ के लिए विद्यालय में एक अलग जन्म तिथि देते हैं। कपट किया जा सकता है, या यह गलती का एक उदाहरण या लापरवाही के कारण भी हो सकता है। परन्तु यह ध्यान में रखना सुसंगत है कि जब कोई छात्र 10वीं कक्षा या 10+2 तक किसी विद्यालय में पढ़ता है, तो माता-पिता या अभिभावक और यहां तक कि छात्र को भी विद्यालय के अभिलेख में जन्म तिथि की प्रविष्टि को सत्यापित करने का अवसर मिलता है। यह संभव है कि बच्चे को सुसंगत समय के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा संधारित पंजी में वास्तविक जन्म तिथि के बारे में पता न हो या हो सकता है कि उसने सुसंगत समय पर उक्त तथ्य पर ध्यान न दिया हो। अतः यह स्पष्ट है कि किसी अभ्यर्थी विशेष के लिए जन्म की दो अलग-अलग तिथियां उपलब्ध हैं, एक विद्यालय द्वारा संधारित पंजी में और दूसरा वैधानिक प्राधिकरण द्वारा संधारित पंजी में। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए केवल एक जन्म तिथि हो सकती है और उन दोनों में से कोई एक सही जन्म तिथि होगी। परन्तु मेरा जन्म तिथि की शुद्धता के मुद्दे से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सारोकार नहीं है और सी.बी.एस.ई. द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं की जा रही है। इस पर विचार करने के लिए एकमात्र कारक यह है कि क्या यह न्यायालय सी. बी. एस. ई. को अपने उप-विधि में उनके द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों में सुधार करने के लिए एक परमादेश जारी कर सकता है।

37. निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर, याचिकाकर्ता ने अपनी जन्म तिथि 27 फरवरी, 1981 अभिलेख के लिए अपने आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट को सफलतापूर्वक दुरुस्त किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता का प्रकरण स्कूल रिकॉर्ड की तुलना में लिपिकीय या टंकण संबंधी त्रुटि की श्रेणी में नहीं आता है। यह एक वास्तविक त्रुटि प्रतीत होती है क्योंकि जन्म तिथि 27 फरवरी, 1981 के बजाय 27 फरवरी, 1983 दर्ज की गई है। जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सही तर्क दिया, चूंकि परीक्षा के प्रपत्र याचिकाकर्ता के अभिकर्ता द्वारा भरे गए थे, इसलिए हो सकता है कि उसने याचिकाकर्ता की गलत जन्म तिथि भर दी हो। दूसरे शब्दों में, स्कूली अभिलेखों को वैधानिक प्राधिकरण के जन्म प्रमाण-पत्र के साथ मिलान करने के लिए परिकल्पना की गई स्थिति पर सी. बी. एस. ई. द्वारा उनके उपविधियों में विचार नहीं किया गया था।

39. अतः मुझे इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि सी.बी.एस.ई. की उपविधियाँ इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं की जा सकती हैं। यद्यपि, अंक-सूची में जन्म प्रविष्टि की दिनांक को

वैधानिक प्रमाण-पत्र में प्रविष्टि के साथ मिलान करने के लिए, अभ्यर्थियों को किसी भी उपाय के बिना नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय का रुख करने के उनके अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।

40. अगला प्रश्न यह है कि क्या रिट कोर्ट को वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए जन्म प्रमाण-पत्र में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए अंक-सूची में प्रविष्टियों में सुधार का निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि परमादेश (मैंडमस) का रिट केवल तभी जारी किया जा सकता है जब किसी पीड़ित पक्ष को किसी विधि या नियम के तहत लागू करने योग्य विधिक अधिकार हो। परमादेश का रिट केवल एक प्राधिकारी को कुछ करने के लिए जारी किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता ने स्वयं में निहित एक विधिक अधिकार और राज्य में निहित एक संबंधित विधिक कर्तव्य स्थापित किया हो। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम बनाम हीरा और रत्न विकास निगम मर्यादित, [(2013) 5.एस. सी. सी. 470] के के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

“परमादेश रिट का प्राथमिक उद्देश्य अधिकारों की रक्षा और स्थापना करना और विधि में मौजूद एक संबंधित अनिवार्य कर्तव्य को लागू करना है। यह न्याय को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। रिट प्रदान करना या इसकी अस्वीकृति न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। रिट तब तक नहीं प्रदान किया जा सकता जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि आवेदक का कोई मौजूदा विधिक अधिकार है,

या उत्तरवादी का कोई मौजूदा कर्तव्य है। इस प्रकार, रिट विधिक अधिकार बनाने या स्थापित करने के लिए नहीं है बल्कि पहले से स्थापित अधिकार को लागू करने के लिए है। रिट याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों, अन्य बातों के साथ-साथ प्रकरण के तथ्यों, विवेकाधिकार के इस तरह के प्रयोग की आवश्यकता, रिट प्रदान करने या इसकी अस्वीकृति के परिणामों और इस तरह प्रदान करने या इसकी अस्वीकृति से होने वाली क्षति की प्रकृति और सीमा को ध्यान में रखते हुए विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. भारतीय खाद्य निगम बनाम आशीष कुमार गांगुली, (2009) 7 एस. सी. सी. 734 तथा मध्य प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार पाठक (2008) 1 एस. सी. सी. 456 के मामलों में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा समान निष्कर्ष अभिनिर्धारित किया गया है।

42. इसलिए, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक नीति, जनहित और सार्वजनिक भलाई के आधार पर विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। रिट प्रकृति में न्यायसंगत है और इस प्रकार, इसका जारी करना न्यायसंगत सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है। अनुतोष से इनकार उन कारणों से किया जाना चाहिए जो अन्याय का कारण बन सकते हैं। उक्त रिट जारी करने के लिए मुख्य विचार यह है कि सारभूत न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा या नहीं। इसके अलावा, इस तरह की रिट जारी करते समय, न्यायालय को रिट याचिका के कथनों से यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि क्या

उचित अभिवचन मौजूद हैं। परमादेश के रिट को बनाए रखने के लिए, पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि याचिका तुच्छ नहीं होनी चाहिए, और अच्छी भावना से प्रस्तुत कर की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवेदक को एक ऐसी मांग करनी चाहिए जो स्पष्ट हो। यह मांग किए गए अधिनियम को करने के लिए आवश्यक अधिकार रखने वाले अधिकारी को दिया जाना चाहिए।इसके अलावा, जिस प्राधिकरण के विरूद्ध आदेश जारी किया गया है, उसे पहले ही मांग को खारिज कर देना चाहिए था। अतः एक मांग और उसके बाद इनकार, या तो शब्दों द्वारा, या आचरण द्वारा, न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है कि विरोधी पक्ष अपने विधिक अधिकार के प्रवर्तन के संबंध में आवेदक की मांग की अनदेखी करने के लिए दृढ़ है। यद्यपि, एक मांग आवश्यक नहीं हो सकती है जब वह प्रकरण के तथ्यों से प्रकट हो, अर्थात् जब यह एक खाली औपचारिकता हो, या जब यह स्पष्ट हो कि विरोधी पक्ष मांग पर विचार नहीं करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. सरिफुज़ ज़मान (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, इस आधार पर अंक-सूची में जन्म तिथि को सुधारने का अनुरोध किया गया था कि प्रवेश के समय शाला अभिलेखों में प्रविष्टि करते समय एक लिपिकीय त्रुटि हुई थी। अतः इस निर्णय को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में जहाँ याचिकाकर्ता यह स्वीकार करती है कि 10 वीं बोर्ड की परीक्षा के प्रपत्र (फॉर्म) में उसने गलत जन्म तिथि प्रविष्ट कर दी थी तथा वह उसे जन्म प्रमाण- पत्र के अनुसार सुधरवाना चाहती है। अतः सरिफुज़ ज़मान (पूर्वोक्त) के

प्रकरण का निर्णय वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है।

44. यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता की भविष्य की संभावनाएं भी प्रभावित होंगी यदि अंक-सूची में जन्म तिथि की प्रविष्टि वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र से मेल नहीं खाती है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे अन्य दस्तावेजों में जन्म तिथि को पहले ही 27 फरवरी, 1981 के रूप में दुरुस्त किया जा चुका है। मेरा विचार है कि अधिकारिता का प्रयोग करने में विफलता याचिकाकर्ता को गंभीर कठिनाई में डाल सकती है। इसलिए, न्याय प्रदान करने के लिए, न्यायालय प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित कर सकता है। यद्यपि, यदि तथ्य के विवादित प्रश्न उत्पन्न होते हों तो इस न्यायालय के लिए मामले पर विचार करना उचित नहीं होगा। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता की ओर से सी. बी. एस. ई. से संपर्क करने में विलंब हुई है, जिसका ठीक से स्पष्टीकरण किया गया है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि अन्य प्राधिकारियों ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र के आधार पर अपने दस्तावेजों में जन्म तिथि को पहले ही दुरुस्त कर दिया है। अतः अधिकारिता का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के साथ अन्याय होगा। अतः ऐसी रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. वर्तमान प्रकरण में लौटते हुए, अभिलेख के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि परिणाम वर्ष 2017 में प्रकाशित किया गया था, यद्यपि, कोविड-19 महामारी अवधि के कारण, आवेदन केवल 3 माह की विलंब से 04.11.2020 को प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता/आवेदक की प्रामाणिकता आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से देखी जा सकती

है क्योंकि उस अवधि में कोविड-19 महामारी के कारण एक अंतरराष्ट्रीय तालाबंदी (लॉकडाउन) लागू थी, इसलिए याचिकाकर्ता का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका और इसे लगभग तीन माह के विलंब से प्रस्तुत किया गया था। उत्तरवादी-छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा उपरोक्त पहलू पर विचार नहीं किया गया है और जन्म तिथि में सुधार के लिए उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया था।

14. मेरी सुविचारित मत में, याचिकाकर्ता की अंक-सूची में उल्लिखित जन्म तिथि और वैधानिक प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र में परिलक्षित जन्म तिथि के मध्य विसंगति होना गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह याचिकाकर्ता की भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसमें रोजगार और शैक्षिक अवसर शामिल हैं। हालांकि यह सच है कि याचिकाकर्ता ने समय बीतने के बाद बोर्ड से संपर्क किया, लेकिन दिया गया स्पष्टीकरण उचित और संतोषजनक प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि केवल विलंब ही याचिकाकर्ता के दावे को पूरी तरह से अस्वीकार करने का आधार नहीं होना चाहिए। माननीय न्यायालयों ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि जब अधिकारिता का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप कठिनाई या अन्याय होता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है तथा उचित निर्देश जारी कर सकता है, विशेष रूप से तब जब तथ्य गंभीर रूप से विवादित न हों और मामले को जटिल तथ्यात्मक विवादों में प्रवेश किए बिना हल किया जा सकता हो। संबंधित अधिकारियों को विलंब से अनुचित रूप से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार और न्याय के हित में जन्म तिथि में सुधार के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करना चाहिए।

15. मामले के उपरोक्त पहलू, पक्षों द्वारा प्रस्तुत निवेदनों तथा **<u>मनोज कुमार (पूर्वोक्त), तुकाराम काना जोशी (पूर्वोक्त) एवं जिज्ञा यादव (पूर्वोक्त)</u>** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यालालय द्वारा प्रतिपादित विधियों पर विचार करते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रति की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपने प्रमाण-पत्र में जन्म तिथि के सुधार के लिए उत्तरवादी सं. 2 को एक नया आवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसमें वर्ष में गलत तरीके से 2002 के बजाय 2001 के रूप में उल्लेख किया गया है। संबंधित सक्षम उत्तरवादी प्राधिकारी, विशेष रूप से उत्तरवादी सं. 2-छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, को बदले में, याचिकाकर्ता के सुसंगत दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद, जन्म तिथि में सुधार के संबंध में याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है, और यदि सही पाया जाता है, तो उसकी कक्षा 10 वीं की अंक-सूची में उसकी जन्म तिथि को सही जन्म तिथि के साथ एक नई अंक-सूची जारी करके सुधारा जाएगा। उक्त कार्य उक्त आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से आगे 60 दिनों की अवधि के भीतर किया जाए।

16. उपरोक्त टिप्पणी/निर्देश के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**